

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07762-232668, ई-मेल:- raigarhcmho@gmail.com

क्रमांक/सी.एस.आर./2026/ 31652

रायगढ़ दिनांक 27/10/2026

-: विज्ञापन :-

सी.एस.आर. मद अंतर्गत रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला चिकित्सालय रायगढ़/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुसौर/लोईग/घरघोड़ा/लैलुंगा एवं सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ में संचालित टू-नॉट साईट हेतु प्राप्त प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत राशि अनुसार जिला आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टू-नॉट साईट के संचालन हेतु मानव संसाधन की 1 वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति किये जाने हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के माध्यम से जिला रोस्टर अनुसार पदवार उनके नाम के सम्मुख दर्शाये तिथियों में स्थान-कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर रोड, रायगढ़ में निम्नानुसार वॉक-इन-इन्टरव्यू /कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :-

1	आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रकार	तिथि	निर्धारित प्रारूप में संलग्नकों के साथ वॉक-इन-इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार तिथि को ही उपस्थित होकर जमा किया जाना है।
2	पंजीयन हेतु निर्धारित समय	12.11.2026	सुबह 09.30 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक
3	पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन		दोपहर 01.30 बजे तक
4	दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय		दोपहर 02.00 बजे से 03.00 बजे तक
5	दावा आपत्ति का निराकरण एवं आगामी तिथि को लिखित परीक्षा हेतु सूची जारी		शाम 04.00 बजे तक
6	लिखित परीक्षा	13.11.2026	प्रातः 11.00 से 12.00 बजे तक।
7	परीक्षा परिणाम जारी		दोपहर 03.00 बजे

पदवार विज्ञापित पदों की विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पदनाम	कुल पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण				एकमुश्त मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	रिमार्क
			अना	अपिव	अजा	अजजा			
1	लैब टेक्नीशियन	6	2	1	1	2	रु. 13000 / - प्रतिमाह	Intermediate (10+2) and Diploma of certified course in Medical Laboratory Technology or equivalent.	वॉक-इन-इन्टरव्यू दिनांक 12.11.2026 एवं 13.11.2026
Preferential Qualification One Year Experience in NTEP or Sputum smear microscopy. Candidates With Higher Qualification (for example Graduates) Shall be preferred.									

भर्ती के संबंध में अनिवार्य अर्हताएं/सामान्य शर्तें दिशा-निर्देश :-

(i) आवेदन पत्र के संबंध में

- विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, कम्पनी/उद्योगों से सी.एस.आर. मद के तहत प्रशासकीय सहित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के आधार पर विकासखण्ड के अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।
- आवेदक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

क्रमशः— 2

3. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
4. अभ्यर्थी का संबंधित कौंसिल में विज्ञापन जारी होने के पूर्व का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. उम्मीदवार की आयु 01/01/2026 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष (चिकित्सकीय पद) हेतु होनी चाहिये।
6. आवेदक संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर या टंकित प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका प्रारूप संलग्न है।
7. आवेदक को आवेदन में फोटो एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर जमा करना होगा।
8. नियमानुसार जिला आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा।
9. अंतिम सूची :- निम्नानुसार अंतिम सूची तैयार की जावेगी।
 - अ/ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का - 65% प्रतिशत अंक
(केवल लैब टेक्नीशियन कोर्स प्रमाण पत्र का चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)
 - ब/ अनुभव अंक - 10/15 अंक
(एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक)
 - स/ लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार - 20 अंक। (लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा)
10. अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित पद के क्षेत्र में केवल केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय अर्द्धशासकीय/पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 2 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 3 अंक अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा।
11. छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, दिनांक 3 फरवरी 2023 द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त 6 माह तक लगातार सेवा देने के स्थान पर एक वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव प्रतिस्थापित किया गया है, में दिये गये आदेशानुसार 10 बोनस अंक का लाभ दिया जावेगा। इस संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी 6 माह का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदन के प्राप्ति उपरांत सर्वप्रथम दावा आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा। दावा आपत्ति हेतु एक निश्चित समय दिया जावेगा। दावा आपत्ति के निराकरण/प्रसारण उपरांत अभ्यर्थी को अपनी अर्हता संबंधी कोई भी दस्तावेज संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी केवल कार्यालयीन टंकण त्रुटि अथवा आवेदन अवलोकन में होने वाली त्रुटि में संशोधन हेतु अभ्यावेदन स्वीकार किये जावेंगे। दावा आपत्ति निराकरण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की कौशल/साक्षात्कार हेतु सूचना कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा। पृथक से व्यक्तिगत रूप से कोई भी सूचना नहीं दी जावेगी।
13. यह संविदा नियुक्ति/चयन प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति-2018 के नियम एवं शर्तों/प्रावधान के तहत होगी।
14. संविदा नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता या कोई भी व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी अपने स्वयं के व्यय से करेंगे।
15. संविदा मानदेय संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
16. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

क्रमशः— 3

17. यह संविदा सेवा अवधि केवल 01 वर्ष तक लिए होगी एवं सी.एस.आर. मद से आगामी वर्ष हेतु मानदेय देने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सेवा वृद्धि की जावेगी अथवा स्वीकृत पदों के विरुद्ध शासन स्तर से नियमित/संविदा भर्ती होने की दशा में यह सेवायें नियमानुसार समाप्त की जा सकती है।

18. लिखित/कौशल/साक्षात्कार/दक्षता परीक्षा हेतु -

क्र	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 6	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना

19. चयनित अभ्यर्थी द्वारा किसी समय विशेष में संस्थान को सेवा न देने/त्याग पत्र देने की स्थिति में एक माह पूर्व सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जावेगा। ठीक इसी प्रकार विभाग/संस्थान को संबंधित के सेवाओं की आवश्यकता न होने पर संबंधित को एक माह पूर्व सूचना/नोटिस अथवा एक माह का मानदेय देय होने उपरांत समाप्त की जा सकेगी अथवा त्याग पत्र स्वीकार की जा सकेगी।
20. उक्त संविदा पद अस्थानान्तरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी।
21. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जाँच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
22. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. उक्त विज्ञापन में किसी भी प्रकार की आवेदन/अभ्यावेदन का निराकरण पर न्यायालयीन स्थिति बनने पर जिला न्यायालय रायगढ़ (छ.ग.) के अध्यक्षीन होगी।
24. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति को होगा। जो सभी आवेदकों के लिए मान्य होगा।

(ii) आवेदन के साथ नीचे दर्शित अंकसूची/प्रमाण पत्र/सहपत्र स्व-प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है-

- 1- 10 वीं अंकसूची (जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु)।
- 2- 12 वीं अंकसूची।
- 3- अहर्तानुसार अनिवार्य शैक्षणिक/तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री/डिप्लोमा।
अ/ संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षों की अंकसूची।
- 4- संबंधित कौंसिल में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- 5- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/निवास प्रमाण पत्र।
(आवश्यकता होने पर उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- 6- पहचान-पत्र।
(आधारकार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड/पेनकार्ड/ड्राइविंग लायसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थियों का नाम, पता, फोटो इत्यादि हो)
- 7- कार्य अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश सहित।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)